राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.03.2024
तालुका विधिक सेवा समिति जहाजपुर
बैंच संख्या–01

प्रकरण संख्या	:–	**51/2023 रा0अधि0**
अनवान	:–	**शिमला मीणा बनाम शांति मीणा वगै.**
अन्तर्गत धारा	:–	88, 89

दिनांकः– 09.03.2024

आज यह पत्रावली प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने के कारण आज पेश हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में संबन्धित न्यायालय में वादीया के अधिवक्ता श्री ताराचंद रेगर व प्रतिवादिया के अधिवक्ता श्री रितेश कांटिया मय वादीया एवं प्रतिवादिया के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रकरण में राजीनामा होना जाहिर किया है। उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। नियमानुसार डिकी पृथक से जारी हो।

पत्रावली प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा होने से फैसलशुमार होकर बाद आवश्यक तकमील दाखिल दफतर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बईजलास – श्रीमती रजनी मीणा, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 51/2023
दायर दिनांक :– 18.09.2023

अनवान

शिमला मीणा पुत्री कांशीराम मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर हाल पत्नि मानसिह मीणा नि. देवपुरा तह. देवली जिला अजमेर

वादी..........

बनाम

1. शान्ति पत्नि काशीराम मीणा नि. जालमपुरा तहसील जहाजपुर
2. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण..............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री ताराचन्द रेगर, एडवोकेट वादी
2. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रतिवादी सं.1

:: निर्णय :: दिनांक 09.03.2024

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जालमपुरा, पटवार हल्का रावतखेड़ा, भू. अभि. नि. क्षेत्र जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला–शाहपुरा की आराजी संख्या 4/59 रकबा 0. 4047 कुल किता 1 रकबा 0.4047 हैक्टयर कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। ग्राम जालमपुरा, पटवार हल्का रावतखेड़ा, भूअभि.नि.क्षेत्र जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–शाहपुरा की आराजी संख्या 145 रकबा 0. 2509, आराजी संख्या 146 रकबा 1.1331, आराजी संख्या 147 रकबा 0.2347, आराजी संख्या 182 रकबा 0.3399, आराजी संख्या 183 रकबा 0.5908, आराजी संख्या 252 रकबा 0.2509, आराजी संख्या 253 रकबा 0.1133, आराजी संख्या 268 रकबा 0.0081, आराजी संख्या 353 रकबा 0.4128, आराजी संख्या 43 रकबा 0.9227, आराजी संख्या 56 रकबा 0.9308, आराजी संख्या 65 रकबा 0.2509, आराजी संख्या 81 रकबा 1.0441 कुल किता 13 रकबा 6.4830 हैक्टयर कृषि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम 1/4 हक व हिस्सा दर्ज है। ग्राम जालमपुरा, पटवार हल्का रावतखेड़ा, भू.अभि.नि.क्षेत्र जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–शाहपुरा की आराजी संख्या 358 रकबा 0.0243 कुल किता 1 रकबा 0.0243 हैक्टयर कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम 1/8 हक व हिस्सा दर्ज है। वादीया के पिता काशीराम मीणा पिता बालू मीणा निवासी–जालमपुरा, का सजरा निम्न प्रकार होकर काशीराम पिता बालू मीणा के विधिक वारिसान निम्न है।

काशीराम मीणा पिता बालू मीणा (फोत)

शिमला पुत्री	शान्ति पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

C:nirnay//rider

वादपत्र में वर्णित चरण संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 को विरासत में मिली है। जो पूर्व में सम्वत् 2036 से 2039 के राजस्व रेकार्ड में वादीया के पिता काशीराम मीणा पिता बालू मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। किन्तु वादीया के पिता काशीराम मीणा की मृत्युपरान्त विरासत से राजस्व रिकार्ड में खाता रद्दोबदल करते समय प्रतिवादीया संख्या 1 ने जान बुझकर वादीया को उसके हक व हिस्से से महरूम करने के आशय से वादीया को छिपाकर ना औलाद बताकर अपने अकेले नाम करा ली है। इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवा प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ वादीया अपना नाम जुडवाना चाहती है। वादीया का उक्त पैतृक कृषि भूमि में बराबर का हक व अधिकार हैं। इसलिए वादीया अपनी उक्त पैतृक कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ वादीया अपना नाम भूमि खातेदारी से दर्ज किये जाने की उद्घोषणा करवा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 के साथ साथ वादीया का नाम शिमला पुत्री काशीराम मीणा हक व हिस्से के अनुसार खातेदारी में दर्ज करवाना चाहती है। वादपत्र की पेरा संख्या 2 व 3 में दर्णित भूमि में वादीया के अलावा अन्य सह खातेदारों का नाम भी खातेदारी से दर्ज है, किन्तु वादीया ने मात्र अपने पिता के हिस्से की भूमि में ही इन्द्राज दुरूस्ती की जानी है। वादीया शिमला मीणा का नाम दर्ज कराना चाहती है। जिसमें सह खातेदारों के हिस्से प्रभावित नहीं होगें, जिससे उन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया। वादपत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित भूमि का नामान्तरण संख्या 229 से दिनांक 16.08.1984 को खोला गया किन्तु दिनांक 05.08.2023 को चालू जमाबन्दी की नकल वादीया द्वारा प्राप्त करने पर प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम ही खातेदारी में दर्ज होने के जानकारी वादीया को दिनांक 05.08.2023 जानकारी होने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 से लगायत 3 में वर्णित वादीया शिमला मीणा के पिता काशीराम पिता बालू मीणा की पुश्तैनी कृषि भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 शान्ति मीणा के नाम के साथ वादीया शिमला मीणा का नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्सेनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादीया शिमला मीणा पुत्री कासीराम मीणा का नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित कराना फरमायें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा० फा० किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र पेश कर ईकबाले जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी एव प्रतिवादी सं 1 द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि वादीया शिमला मीणा पुत्री स्व० श्री काशीराम मीणा निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा हाल पत्नि मानसिंह मीणा निवासी देवपुरा तहसील देवली जिला टोंक व प्रतिवादीया शांति पत्नि स्व. काशीराम मीणा निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के मध्य उक्त उनवान के प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का रावतखेडा भू० अ० नि० क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 4/59 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 145, 146, 147, 182, 183, 252, 253, 268, 353, 43, 56, 65, 81 कुल किता 13 रकबा 6.4830 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 358 रकबा 0.0243 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रेकार्ड मे वादीया का हक व हिस्से अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादीया शान्ति देवी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। हम पक्षकारों के मध्य अब किसी भी प्रकार का विवाद नही है। उक्त उनवान के प्रकरण मे वादीया ने जो वाद पत्र मे दाद चाही है को स्वीकार फरमाकर वाद पत्र को वादीया के पक्ष में डिग्री किया जाता है तो प्रतिवादीया शान्ति देवी मीणा को

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादीया स्व० श्री काशीराम मीणा की विधिक वारिसान है। अतः हम पक्षकारों का लोक अदालत की भावना से राजीनामा तस्दीक कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में अग्रलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली है, ग्राम जालमपुरा की खाता सं. 146 की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की प्रति, ग्राम जालमपुरा की खाता सं. 05, 06 की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 की प्रति, नामान्तरण सं. 229 की प्रति, ग्राम जालमपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, 10 वीं की अंकतालिका की प्रति है।

वकील उपभपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें अनुसार की डिक्री जारी कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का रावतखेडा भू० अ० नि० क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 4/59 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 145, 146, 147, 182, 183, 252, 253, 268, 353, 43, 56, 65, 81 कुल किता 13 रकबा 6.4830 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 358 रकबा 0.0243 हैक्टेयर मे वादीया का हक व हिस्से अनुसार सहखातेदार दर्ज किया जायेगा। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनाया गया जिसे पक्षकारान ने स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा राजीनामें को तस्दीक किया गया। जिसे न्यायालय राजीनामे के आधार पर दावा डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार ग्राम ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का रावतखेडा भू० अ० नि० क्षेत्र जहाजपुर तहसील जहाजपुर मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 4/59 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 145, 146, 147, 182, 183, 252, 253, 268, 353, 43, 56, 65, 81 कुल किता 13 रकबा 6.4830 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 358 रकबा 0.0243 हैक्टेयर मे प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीया का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

:: डिकी ::

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (शाहपुरा)
ब ईजलास – श्रीमती रजनी मीणा, आर.ए.एस

अनवान

शिमला मीणा पुत्री कांशीराम मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर हाल पत्नि मानसिह मीणा नि. देवपुरा तह. देवली जिला टोंक

वादीया ....

बनाम

1. शान्ति पत्नि काशीराम मीणा नि. जालमपुरा तहसील जहाजपुर
2. तहसीलदार, जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण:......

दावा बाबत – **88, 89 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 51 / 2023

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री ताराचन्द रेगर, एडवोकेट वादीया रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रतिवादीया संख्या 1 का मिनजानिब मुदई मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि

1. ग्राम जालमपुरा प. ह. रावतखेड़ा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/2 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/2	4/59	0.4047	बारानी I	
		कुल किता 01	0.4047	बारानी I	
2	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	145	0.2509	बीड I	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	146	1.1331	बारानी I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	147	0.2347	बीड I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	182	0.3399	गेमू नाडा बीड़	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	183	0.5908	बारानी I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	252	0.2509	चाही	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	253	0.1133	चाही	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	268	0.0081	गेमू आचा	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	353	0.4128	चाही	

हाजपुर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	43	0.9227	बीड I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	56	0.9308	बीड I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	65	0.2509	बारानी I	
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/8 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/8	81	1.0441	बारानी I	
	कुल किता 13	13	6.4830		
	शिमला मीणा पुत्री स्वर्गीय काशीराम मीणा 1/16 शांति पत्नी स्वर्गीय काशीराम सा. देह खातेदार 1/16	358	0.0243	गेमू आचा	
	कुल किता 01	1	0.0243		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.03.2024

मुहर

उपखण्ड दण्डनायक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जहाजपुर (शाहपुरा)
सत्यमेव जयते

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर